राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

प्रबन्ध मण्डल की 60वीं बैठक दिनांक 17.6.2005 को प्रातः 9.00 बजे सभागार, प्रशासनिक कार्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर में आयोजित की गई का कार्यवाही विवरण ।

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थेः–

1.	प्रो0 परमात्मा सिंह	अध्यक्ष
2.	डॉ0 पी.सी. जैन	सदस्य
3.	डॉ0 ए0के0 गहलोत	" "
4.	डॉ0 ए.के. दहामा	" "
5.	डॉ0 हनुमान प्रसाद	" "
6.	डॉ0 एस. जे. सिंह	" "
7.	डॉ0 एस.के.शर्मा	" "
8.	श्री एम0 डी0 देथा	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित

श्री एल.एन. गहलोत, वित्त नियंत्रक

प्रमुख शासन सचिव कृषि उत्पादन, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, शासन सचिव पशुपालन, निदेशक कृषि, डॉ0 आर. पी. सिंह, डॉ0 एल. एल. शर्मा, श्री विक्रम आदित्य आहूजा, डॉ0 डी. जी. धन्धर ने बैठक में भाग नहीं लिया।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति ने डॉ0 पी.सी. जैन, डॉ0 ए.के. दहामा व डॉ0 एस. के. शर्मा के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया । निवृतमान सदस्यों डॉ0 जी. डी. सिंह, डॉ0 (श्रीमती) मधु गोयल, डॉ0 (श्रीमती) अर्चना राज सिंह, श्री रामप्रताप कासनिया, विधायक व श्री मनोहर लाल बिश्नोई द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की।

राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 972	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.1.2005 व 23.3.2005 के कार्यवाही विवरण को पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए।**

राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 973	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.1.2005 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि कार्यवाही विवरण के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही को नोट कर लिया जाए ।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 974	वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.06.2005 के कार्यवाही विवरण को पुष्टि करने बाबत् । **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 975	विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2005–06 संशोधित अनुमान वर्ष 2004–05 का अनुमोदनार्थ । **पारित (Resolved) किया गया कि अनुमोदन किया जाए।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 976	माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत । 1. कमांक एफ / सीओई / राकृवि / सिकरेसी / यूएम / 2005 / 38–54 दिनांक 16.2.2005 (दो छात्रों को नकल (Unfairmeans)करते पकडे जाने के संबंध में)। 2. कमांक एफ.4 (1–आर) (20) / राकृवि / सी / 91 / 1095–1145 दिनांक 7 / 14.5.2005 (संशोधित मकान किराया भत्ता के संबंध में)। 3. कमांक एफ(64)पीएमआरएफ / ग्रुप–5 / 2005 / 35–39 दिनांक 26 / 27.4.2005 (सेवा निवृत कर्मचारी / अधिकारी / शिक्षक को दिये गये 2004–05 में मेडिकल राशि के संबंध में)। **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए।**

राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 977	प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त प्रत्र क्रमांक एफ 27 (4)आरबी / 2000 / 3352 दिनांक 11.5.2005 के अनुसार बाईपास हेतु विश्वविद्यालय की भूमि (5.9 हैक्टेयर सड़क में 11 है0 सड़के के उस ओर रहेगी) के बदले यदि उद्यानिकी (होर्टिकल्चर) की 22 हैक्टेयर भूमि मिल जाती है तो अनुसंधान पर जमीन के अभाव के कारण विपरीत प्रभाव की भरपाई हो सकेगी। बाईपास के उस ओर रहने वाली भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क व्यावसायिक प्रयोजन हेतु रूपान्तरण कर नीलाम किया जाएगा, जिसमें से 20 प्रतिशत राशि जयपुर विकास प्राधिकरण की होगी तथा 80 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय की होगी। होर्टिकल्चर को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 22 हैक्टेयर भूमि जगतपुरा में आरक्षित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। आरक्षित दर का भुगतान बाईपास के उस ओर रहने वाली भूमि की व्यवसायिक प्रयोजन हेतु नीलामी से प्राप्त राशि में से किया जाएगा। इस हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध होगा। विचारार्थ प्रस्तुत है। **पारित (Resolved) किया गया कि स्टेज–वाइज (चरणवार) कार्यवाही निम्न प्रकार होगी :** **1. विश्वविद्यालय की भूमि (5.9 है0 सड़क हेतु एवम् 11 है0 सड़क के उस ओर रहने वाली) सड़क हेतु देने से पूर्व उद्यान विभाग की 22 है0 भूमि विश्वविद्यालय को सुपुर्द की जाए ।** **2. सड़क में जाने वाली भूमि के किनारे–किनारे विश्वविद्यालय की भूमि की तरफ विश्वविद्यालय भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण 8 फिट ऊंची दीवा़र मय उसके उपर ऐंगल तारबन्दी निर्मित कर दे ताकि फार्म की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।**

	आगे यह भी पारित **(Resolved)** किया गया कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने पर प्रस्ताव की सहमति / अनुमति दी जाती है।
राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 978	शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 15.6.2005 के कार्यवाही विवरण को पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि मद संख्या AU/AC-23/2005-2/10 (जो कि I.A.B.M. के बारे में है) की दसवीं लाईन के अन्त में MET के स्थान पर MAT/CAT/Entrance test पढ़ा जाएं । उपरोक्त रूपान्तरण के अतिरिक्त शेष कार्यवाही विवरण की यथा– प्रस्तावना पुष्टि की जाती है।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 979	पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र कमांक प.8(2)पपा / 92–पार्ट दिनांक 1.6.2005 के द्वारा वर्ष 2005–06 में दी गई राशि रूपये 2.00 लाख के बजट प्रावधान के तहत चारा अनुसंधान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना । **पारित (Resolved) किया गया कि** 1. **पशुपालन विभाग को राशि भेजने हेतु लिखा जाए ।** 2. **निदेशक कृषि अनुसंधान, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, पशु पालन विभाग को कार्ययोजना प्रेषित करें ।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 980	डा. गोपाल लाल, पूर्व सहायक आचार्य, उद्यान श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के सेवांत हितलाभ (Terminal Benefits) स्थानान्तरण के संबंध में । **पारित (Resolved) किया गया कि नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।**